हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुधार संगठन।

संख्या पी ई आर (ए आर)एफ (७)—2/98—वोल—1 22 अक्तूबर, 2008 शिमला—2

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (ए आर) एफ (७)–2/98— वोल—1 तारीख 21 जनवरी,2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र , हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–2–2006 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2008 है।
 - (ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।
- नियम 3 का संशोधन । 2. हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में.—
 - (i) उपनियम (3) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और
 - (ii) उपनियम (4) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा;
- नियम ४ का संशोधन। 3 उक्त नियमों के नियम ४ में,—
 (i)उपनियम (2) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (4) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

नियम 5 का संशोधन। 4 उक्त नियमों के नियम 5 में,-

- (i) उप नियम (1) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ii) उप नियम (1) में मद संख्या 3 में अंक ''10'' के स्थान पर अंक ''2'' रखा जाएगा; और
- (iii) उप नियम (2) में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।
- प्ररूप ''आ'' का संशोधन। 5 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''आ'' में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' जहां जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा।
- प्ररूप ''इ'' का संशोधन। 6 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''इ'' में ''सहायक जन सूचना अधिकारी'' जहां जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा, और

आदेश द्वारा

टी. जी. नेगी प्रधान सचिव (प्र. सु.) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या पी ई आर (ए आर)एफ (७)−2 / 98−वोल −1 22 अक्तूबर,2008 शिमला−2 प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:—

- 1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
- 2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
- 3. प्रधान सचिव, मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला–2.

- 4. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2, इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है कि इस संशोधन की प्रतिलिपि अपने विभाग के समस्त जन सूचना अधिकारियों / सहायक जन सूचना अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करवायें।
- 5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश। इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है कि इस संशोधन की प्रतिलिपि अपने विभाग के समस्त जन सूचना अधिकारियों / सहायक जन सूचना अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करवायें।
- 6. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश। इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है कि इस संशोधन की प्रतिलिपि अपने विभाग के समस्त जन सूचना अधिकारियों / सहायक जन सूचना अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करवायें।
- 7. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश। इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है कि इस संशोधन की प्रतिलिपि अपने विभाग के समस्त जन सूचना अधिकारियों / सहायक जन सूचना अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करवायें।
- 8. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 से अनुरोध है कि वह कृप्या इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें तथा उक्त प्रकाशित अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा करें।
- 9. सचिव, सामान्य प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2.
- 10. सहायक विधि परामर्श एवं अवर सचिव विधि, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 11. वरिष्ठ विधि अधिकारी—II राजभाषा खण्ड विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला—2।

उप सचिव (प्र. सु.) हिमाचल प्रदेश सरकार। [Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98-Vol.I dated 22-10-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol.I

Dated Shimla-2

the 22nd October, 2008.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh(Extra ordinary) dated 21-2-2006 vide this Department notification No. Per (AR) F (7)-2/98-Vo.I dated 21st January, 2006, namely:-

Short title and commencement

- **1.** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (4th Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of rule 3.

- **2.** In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules),
- (i) in sub-rule (3), the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted; and
- (ii) in sub-rule (4), the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

Amendment of rule 4.

- 3. In rule 4 of the said rules, -
 - (i) in sub-rule (2) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted; and
 - (ii) in sub-rule (4) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

Amendment of rule 5.

- 4. In rule 5 of the said rules,-
 - (i) in sub-rule (1) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted
 - (ii) in sub-rule (1) in item No.3, for the figure "10" the figure "2" shall be substituted; and
 - (iii) in sub-rule (2) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

Amendment of Form B

5. In Form B appended to the said rules, the word "Assistant Public Information Officer" wherever these appear shall be deleted.

Amendment of Form C

6. In Form C appended to the said rules, the word "Assistant Public Information Officer" wherever these appear shall be deleted.

By Order

T.G. Negi Principal Secretary (AR) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol.I

Dated Shimla-2, the

22nd October, 2008

Copy forwarded to: -

- 1. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
- 2. The Senior Private Secretary to the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh. They are requested to circulate the copies of this amendments to all the PIOs /APIOs designated in their respective Departments.
- 5. All the Heads of departments in Himachal Pradesh. They are requested to circulate the copies of this amendments to all the PIOs /APIOs designated in their respective Departments.
- 6. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh. They are requested to circulate the copies of this amendments to all the PIOs /APIOs designated in their respective Departments.
- 7. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh. They are requested to circulate the copies of this amendments to all the PIOs /APIOs designated in their respective Departments.
- 8. The Controller, Printing and Stationary, Himachal Pradesh, Shimla-171005 for publication in the Official Gazette (Extraordinary). He is requested to send 200 printed copies of the same to this Department immediately.
- 9. The Secretary(GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Deputy Secretary (AR) to the Government of Himachal Pradesh